# EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3. SUB-SEC. (ii) Appearing on Page Nos. 4066-4068 Dated: 4-5-2002

# विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER								
	ग्रधिस्चना नई दिल्ली, 26 ग्रप्रैल, 2002		धारा 4 निथुषत ब्य	की उपधारा (2) वित:	के खंड (ण)	के ग्रधीन		
का.ग्रा. 1472.—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण ग्रधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते			15. ग्रद्धक्ष, उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के सदस्य विद्युत्त बोर्ड राज्यों का प्रति- निधित्व करने के लिए					
हुए, ऊर्जा कार्य कुणलता व्यूरो की शासी परिपद् स्थापित करती है और उनत व्यूरो की शासी परिपद् में निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त करती है अर्थात् : धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) से (इ)			1 6. अध्यक्ष बोर्ड	ज, पूर्वो क्षेत्रीय विषय	पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का प्रतिनिधित्य करने के लिए	शवस्य		
तक	के ग्रधीन नियुक्त व्यक्ति:		17. ग्रन्यक्ष बोर्ड	त, उत्तरी क्षेत्रीय वियु	त उत्तरी क्षेत्र के राज्यों का	सदस्य		
	विद्युत मंत्री सचिव, भारत सरकार	पदेन ग्रध्यक्ष पदेन सदस्य			प्रतिनिधित्व करने के लिए			
3.	विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली सचिव, भारत सरकार,	पदेन सदस्य	18. ग्रध्यक्ष विद्युत्त	ा, पश्चिमी क्षेत्रीय वोडं	पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों का प्रतिनिधित्य करने के लिए	सदस्य		
4.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली सचिव,	पदेन सदस्य	19. अञ्चन्न विद्युत्त	, दक्षिणो क्षेत्रोय । बोर्ड	दक्षिणो क्षेत्र के राज्यों का	मदस्य		
	भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली	14.1			प्रतिनिधित्व करने के लिए			
5.	सचिव, भारत सरकार, गैर गारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंबालय,	पटेन सदस्य	धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ज) के खंडान उस तारीख से जिसको वे पद ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की ग्रवधि के लिए नियुक्त व्यक्ति:—— 20. श्री तरुण दास, उद्यागका नदस्य					
6.	नई दिल्ली सचिव, भारत सरकार,	पदेन सदस्य	महानि कनफेड	त्य दास, देशक, इरेशन श्राफ इंडियन जि. नई दिल्ली	प्रतिनितित्व	उद्यागका नदस्य प्रतिनितित्व करने के लिए		
	गरमाणु ऊर्जा विभाग, नई दिल्ली मचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली अध्यक्ष,	गर्दन सदस्य	महासर् कल एं मैन्युफै	तील परेश मोरे, चिव, इंडियन इलैंक्ट्री- ड इलेक्ट्रानिक्स क्चरर एसोसिएशन,	के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व	सदस्य		
	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली	पदेन सदस्य	मुम्बई 22. श्री शा		करने के लिए बास्तुविदों का	सदस्य		
9.	महानिदेशक, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	पदेन सदस्य	1 2-ए, अमेयोनन्द, काशीनाथ, धुर रोड मम्बई।		प्रतिनिर्धियत्व करने के लिए			
	कार्यपालक निदेशक, पेट्रोलियम कंजरयेणन रिसर्व एमोमिएणन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य	23. थी ग्रा विल्डिंग	शीष क्लकर्णी, ग 64/1496 बाई. जी. कालोनी	उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते के लिए	भदस्य		
11.	श्रव्यक्ष, एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, रांची	पर्देन सदस्य	श्रादर्श नगर, मुम्बई। धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (थ) के ग्रधीन					
12.	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	पदेन सदस्य	उस तारीख से जिसको वे पद ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की ग्रवधि के जिए नियुक्त व्यक्ति :					
13.	महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण गृह प्रदाप विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कोलकाता	पदेन भदस्य	25. धारा 4 वं नियुक्त व्यक्ति	ी उपधारा (2) मेत :	के खंड (घ) के	धवीन		
14.	प्रबंध निदेशक, इंडियन रिन्यूएबल एनजीं डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली	पदेन सदस्य	26. महानिदे	शिक ड्यूरो फा	पदेन सदस्य . सं. 13/2/200 एस. नजबार, उप	।-ई एम]		

(1)

1411 Power/2002

#### NOTIFICATION

### New Delhi, the 26th April, 2002

S. O. 1472.—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 4 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government hereby establihes the Governing Council of the Bureau of Energy Efficiency and appoints the following Members of the Governing Council of the said Bureau, namely:

Appointed under clauses (a) to (n) of Sub-section (2) of Section 4:—

1.	The Minister of Power	Ex-officio Chairperson		
2.	The Secretary to the Government of India, Mi	Ex-officio member		
3.	The Secretary to the Government of India, Mi Gas, New Delhi.	Ex-officio member		
4.	The Secretary to the Government of India, Mi	Ex-officio member		
5.	The Secretary to the Government of India, Mi Sources, New Delhi.	Ex-officio member		
6.	The Secretary to the Government of India, De New Delhi.	Ex-officio member		
7.	The Secretary to the Government of India, De New Delhi.	Ex-officio member		
8.	The Chairman, Central Electricity Authority, 1	Ex-officio member ·		
9.	The Director General, Central Power Research	Ex-officio member		
10.	Executive Director, Petroleum Conservation R	Ex-officio member		
11.	Chairman-cum-Managing Director, Central M Limited, Ranchi.	ine Planning and Design Institute	Ex-officio member	
12.	Director-General, Bureau of Indian Standards,		Ex-officio member	
13.	Director-General, National Test House, Dep Commerce and Industry, Kolkata.	Ex-officio member		
14.	Managing Director, Indian Renewable Energy New Delhi.	Development Agency Limited.	Ex-officio member	
	Appointed under clause (o) of Sub-section (2)	of Section 4: -		
15.	The Chairman, North-Eastern Regional Electricity Board.	Representing states of North- Eastern region.	Member	
16.	The Chairman, Eastern Regional Electricity Board.	Representing states of Eastern region.	Member	
17.	The Chairman, North Regional Electricity Board.	Representing states of Northern region.	Member	
18.	The Chairman, Western Regional Electricity Board.	Representing states of Western region.	Member	
19.	The Chairman, Southern Regional Electricity Board.	Representing states of Southern region.	Member	
	Appointed under clause (p) of Sub-section (2) date they enter upon the office:—	of Section 4 for a period of three	years with effect from the	
20.	Shri Tarun Das, Director-General, Confederation of Indian Industries, New Delhi.	Representing Industry	Member	
21.	Shri Sunil Paresh More, Secretary General, Indian Electrical and Electronics Manufac- turers' Association, Mumbai.	Representing Equipment and Appliances Manufacturers.	Member	
22.	Shri Shashi Prabhu, 12-A, Ameyanand, Kashinath Dhuru Road, Mumbai.	Representing Architects	Member	
23.	Shri Ashish Kulkarni, Building 64/1496, MIG Colony, Adarsha Nagar, Worli, Mumbai	Representing Consumers	Member	
	Appointed under clause (q) of Sub-section (2) of upon the office:—	of Section 4 for a period of three year	rs from the date they enter	
)4				

24.

Appointed under clause (r) of Sub-section (2) of Section 4: Director-General of Bureau

Ex-officio member Secretary. I File No. 13/2/2001-EM J S. S. TALWAR, Dy. Secy